फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 46 प्रभात जयपुर, बुधवार 16 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

'Portrait of a Woman'

Though we don't know who the sitter in this artwork was, her soft brown eyes and slight smile draw us in. Imagine her chatting to van Hemessen

When Vyjayanthimala Sang in Bangla

Things To See And Not Miss

चीन व अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी है, एआई पर

दोनों देश एआई की दौड़ में अपने आपको प्रथम स्थान पर ही देखना चाहते हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशल इंटैलिजैंस (एआई) पहले ही नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही है। यह उस स्थिति के सामने आने से काफी पहले हो रहा है, जिसका सबसे अधिक डर है, जब आपस में जुड़े कंप्यूटर सिस्टम के एआई इंटरफेस अपने निर्माताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे।

यह कहानी दो स्तरों पर चल रही है। एक ओर, एआई उद्योग के दिग्गज तेजी से हो रहे इनोवेशन के मामले में थोड़ा संयम बरतने की वकालत कर रहे है। दूसरी ओर, दुनिया के दो प्रमुख एआई देशों, अमेरिका और चीन, के राजनीतिक नेता अपनी-अपनी इण्डस्ट्री से कह रहे हैं कि वे अपनी पहल को बिल्कुल न रोकें और दबदबा कायम करने के लिए, जितनी तेजी से हो सके, आगे बढ़ें।

यह इस नई तकनीक को लेकर एक नए शीत युद्ध जैसी स्थिति है, जिसका इस्तेमाल संबंधित देशों के नेता हथियार के तौर पर कर रहे हैं। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि से दुनिया के बाकी देशों के लिए भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं।

- **अमेरिका के एआई इण्डस्ट्री के कर्ताधर्ता किसी भी तरह से इस इण्डस्ट्री की लीडरशीप चीन को नहीं सौंपना चाहते।**
- **राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी इस इण्डस्ट्री की लीडरशीप अपने हाथ में रखने के लिए इस इण्डस्ट्री का आह्वान कर रहे हैं कि अमेरिका आगे रहे।**
- **दूसरी ओर चीन ने एक विस्तृत ब्लू-प्रिंट तैयार कर रखा है, अमेरिका से आगे निकलने के लिए। इस ब्लू प्रिंट को चीन के साम्यवादी दल ने भारी राशि व सुविधाएं देकर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान कर रखा है।**
- **चीन, अमेरिका के बराबर तो पहुँच गया है और राष्ट्रपति शी स्वयं इस ध्येय की प्राप्ति के लिए पूर्णतया जुटे हुए हैं।**

एआई इण्डस्ट्री के दिग्गजों, "एंथ्रोपिक" के सीईओ डारियो आमादेई से लेकर "ओपन एआई" के सैम ऑल्टमैन तक, ने इसी सप्ताह उच्च स्तर के एआई मॉडल और उत्पादों से पैदा होने वाले विनाशकारी प्रभावों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका डर है कि इनसे ऐसे असाधारण रूप से शक्तिशाली उपकरण विकसित हो सकते हैं, जो अपने निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।

लेकिन ऐसा होने से पहले ही दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली महाशक्तियों, अमेरिका और चीन के बीच यह प्रतिस्पर्धा का एक विस्फोटक मुद्दा बन गया है।

पश्चिम के कुछ प्रमुख मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रतिस्पर्धा कई दशक पहले सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुए शीत युद्ध के टकराव जैसी स्थिति का रूप ले रही है।

एआई अब पुराने कोल्ड वॉर के दौर जैसा ही नया युद्ध का मैदान बन गया है और इसके प्रमुख खिलाड़ी इस नई तकनीक पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि, कम से कम लोकतांत्रिक देशों में तो, विशेषज्ञों और राजनीतिक निर्णय लेने वालों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक बलजीत यादव को जमानत नहीं दी

जयपुर, 15 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री से जुड़े ईडी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने ये आदेश बलजीत यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **बलजीत यादव पर सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की आपूर्ति के मामले में ईडी जाँच कर रही है।**

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में अभियोजन शिकायत पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है और कार्यवाही लगातार टल रही है। विशेष अदालत में करीब 15 तारीख पड़ चुकी हैं, लेकिन देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। इसके साथ ही खेल उपकरणों की आपूर्ति से जुड़ी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि न तो उपकरणों की डिलीवरी और न ही उनकी गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत सामने आई है। ऐसे में ईडी के तथ्यों के आधार पर यह मामला प्रथम दृष्टया मनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा के चयन को विवादास्पद बनाने का प्रयास

आईपीएस अफसर राजेश पाण्डेय के पॉडकास्ट ने इस विवाद को जन्म दिया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक सीईओ के रूप में, सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे की टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ है। पांडे उन 16 उम्मीदवारों में शामिल थे, जिन्हें इस पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था।

हाल ही में एक पॉडकास्ट में पांडे की टिप्पणियों का व्यापक रूप से यह मतलब निकाला गया कि मिश्रा ने इस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था या उन अंतिम 16 उम्मीदवारों में शामिल नहीं थे, जो 11-12 अगस्त को अयोध्या में इन्टरव्यू के लिए उपस्थित हुए थे। यह भी कहा गया कि उनका नाम आखिरी समय में घोषित किया गया। ट्रस्ट ने आमने-सामने बातचीत के लिए कई चरणों की स्क्रीनिंग (जिसमें एआई आधारित और मैनुअल मूल्यांकन शामिल था) के बाद, 5,585 आवेदनों में से कई चरणों की जांच के बाद, 16 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था।

- **पॉडकास्ट में यह इम्प्रैशन देने का प्रयास किया गया कि एयर मार्शल ने चयन प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। अतः उनका चयन कैसे हो गया?**
- **बाद में जब गहराई में जाकर छानबीन हुई तो राजेश पाण्डेय का कथन झूठा साबित हुआ और पाण्डेय ने यह कहकर पीछा छुड़ाया कि शायद एयर मार्शल उस दिन इन्टरव्यू के लिए नहीं आए थे, जब पाण्डेय स्वयं इन्टरव्यू के लिए आए थे।**

मिश्रा, जो एक फाइटर पायलट हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वैस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख थे, उनका चयन अंतिम तीन उम्मीदवारों के पैनल में से किया गया था।

विपक्षी दल, जो पहले से ही दान की चोरी के आरोपों को लेकर अभियान चला रहे हैं, अब जवाबदेही का मुद्दा उठाने के लिए इस मौजूदा विवाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बाद में पांडे ने "एक्स" पर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियों का गलत मतलब निकाला गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल यह कहा था कि मिश्रा "शायद उम्मीदवारों में शामिल रहे हों, लेकिन जिस दिन मैं इन्टरव्यू के लिए गया था, उस दिन वे वहाँ मौजूद नहीं थे।" उन्होंने कहा कि इसे इस दावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि मिश्रा ने इन्टरव्यू में बिल्कुल भाग नहीं लिया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वे अधिकारिक तौर पर शीर्ष तीन में शामिल थे। उनके अनुसार, इस तरह की खबरें ट्रस्ट की ओर से नहीं, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया से आई थीं।

मंदिर ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविंददेव गिरि ने इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। ट्रस्ट ने कहा कि मिश्रा ने 11 अगस्त को पहले सत्र में हिस्सा लिया था। शीर्ष तीन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला को दौसा से गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम में एक महिला स्पोर्ट्स बाइक सवार को टक्कर मारने के आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को मंगलवार को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी लवनीश गुर्जर को भी बैंसला के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गुरुग्राम पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। इस अपराध में 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

सामने आए एक वीडियो में नज़र आ रहा है कि रविवार को गुरुग्राम की

- **बैंसला के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए "हत्या के प्रयास" का मामला दर्ज किया गया है।**

गोल्फ कोर्स रोड पर एक सफेद सेडान अचानक तेजी से दाईं ओर मुड़ी और हेलमेट पहने हुई सिया को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गईं। वीडियो में उनकी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक सड़क पर फिसलती हुई दिखाई दे रही है और उससे चिंगारियां निकल रही हैं।

आरोपी ने एक अज्ञात स्थान से मीडिया को दिए साक्षात्कार में कैमरे के सामने आकर दावा किया कि उसे यह पता नहीं था कि बाइक सवार पुरुष था या महिला। उसने आरोप लगाया कि घटना का केवल एक पक्ष दिखाया गया है। उसने यह भी सवाल उठाया कि सिया के एक पुरुष मित्र से जुड़े वीडियो सामने क्यों नहीं आए।

साक्षात्कार में उसे यह कहते हुए सुना गया, "मुझे उस लड़की के लिए बहुत अफसोस हुआ।"

उसके "अफसोस होने" के दावे पर सवाल उठाते हुए सिया ने कहा कि दुर्घटना के बाद उसकी हरकतों से ऐसी कोई चिंता नहीं दिखी।

उन्होंने कहा, "अगर आपको वास्तव में मेरे लिए अफसोस हुआ था, तो आप रुके क्यों नहीं? रुकना आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपने मुझे टक्कर मारी थी, तो आपको रुककर यह देखना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी के कैडर में 60 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, 15 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभाग के लंबे समय से लंबित कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उसके स्वीकृत पदों में 60 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस पुनर्गठन के बाद ईडी की स्वीकृत पद संख्या 2,029 से बढ़ कर 3,256 हो जाएगी।

- **अब ईडी की स्वीकृत पद संख्या 2029 से बढ़कर 3256 हो जायेगी।**

ईडी के अनुसार, कैडर पुनर्गठन के तहत ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े 50 ज़ोन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ , मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पांच समर्पित ज़ोन बनाए जाएंगे। निदेशालय की कार्य इकाइयों की संख्या 131 से बढ़ाकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हिन्दी में भी उपलब्ध होंगे'

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हिन्दी दिवस पर घोषणा की गई कि वह न्यायिक आदेशों की जानकारी अधिक सुलभ व व्यापक बनाना चाहता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि वह जल्द ही हिंदी में एक विशेष पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्विस (जन सूचना सेवा) शुरू करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल और आसानी से समझ आने वाला सारांश उपलब्ध कराना है। यह घोषणा हिंदी दिवस के अवसर पर की गई। कोर्ट का उद्देश्य न्यायिक जानकारी को केवल कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों तक सीमित न रखकर, आम नागरिकों के लिए भी अधिक सुलभ बनाना है।

इस नई पहल के तहत, सुप्रीम कोर्ट के चुने हुए महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों के साथ आसान हिंदी में उनका सारांश भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट रोजाना करीब 15 से 30 मिनट का हिंदी

- **इस नई पहल के तहत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा और हर रोज 15 से 30 मिनट का हिन्दी ऑडियो व वीडियो बुलेटिन भी जारी किया जाएगा।**

ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी उपलब्ध कराएगा, जिसमें महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक सारांश के साथ संबंधित आधिकारिक फैसले का लिंक भी दिया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों और मकदमेबाजों को लंबे और तकनीकी कानूनी दस्तावेजों को समझने में होने वाली कठिनाई को दूर करना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों और उन अन्य व्यक्तियों के लिए भी न्यायिक जानकारी तक पहुंच बेहतर करना है, जिन्हें पारंपरिक कानूनी सामग्री पढ़ने या समझने में कठिनाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद यह सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इससे नागरिक कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कानूनी प्रक्रिया को अपनी परिचित भाषा में समझ सकेंगे।

इस पहल का मकसद भारतीय भाषाओं में न्यायिक जानकारी उपलब्ध करा कर न्याय तक पहुंच और भारत की भाषाई विविधता के बीच संबंध को मजबूत करना भी है।

सरल भाषा और ऑडियो-विजुअल माध्यमों के इस्तेमाल से महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रमों को उन लोगों के लिए समझना आसान होने की उम्मीद है, जिनकी कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है या जिन्हें लंबे फैसले पढ़ने में कठिनाई होती है।

यह सेवा शुरुआत में हिंदी में उपलब्ध होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चरणबद्ध तरीके से इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू करने की योजना बना रहा है।

न्यायिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाने की व्यापक कोशिशों की पृष्ठभूमि में यह कदम महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले परंपरागत रूप से अंग्रेजी में तैयार और प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे में भारतीय भाषाओं में सरल सारांश उपलब्ध कराने से न्यायिक फैसलों और उन नागरिकों के बीच की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने प.बंगाल के दो उपचुनाव के प्रत्याशी घोषित किये

कोलकाता, 15 सितंबर। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सहायक रहे दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां हसिरानी रथ को टिकट दिया गया है।

- **नंदीग्राम से मुख्यमंत्री के पूर्व सहायक स्वर्गीय चंद्रनाथ रथ की मां तथा रेजीनगर से पूर्व जिला अध्यक्ष शंकरभ सरकार उम्मीदवार होंगे।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'निगमों, परिषदों और पालिकाओं के अध्यक्ष की सीटें आरक्षित करने से पहले अलग-अलग लॉटरी क्यों नहीं आयोजित की गई?'

इस मुद्दे को उठाते हुए भरतपुर नगर निगम के पूर्व महापौर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गुहार की कि महापौर व बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्तियों पर रोक लगाई जाये

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 15 सितम्बर। निकाय चुनाव आयोजित किए जाने के बाद 10 नगर निगम 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाओं में महापौर, अध्यक्ष और सभापति चयनित किए जाने की प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगाने की गुहार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और संदीप तनेजा की खण्डपीठ ने सवायत्तशासी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को जवाब तलब किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता अभिजीत कुमार भरतपुर नगर निगम के महापौर के पद पर 2019 से 2024 तक कार्यरत थे और वर्तमान में किसी भी निकाय में कार्यरत नहीं है। उनका कहना है कि चूँकि वे एक नगर निगम के महापौर रह चुके है। इसलिए उन्हें निकायों की कार्य प्रणाली के विषय में अच्छी जानकारी है और सभी तथ्यों को जानने के बाद ही उन्होंने यह जनहित याचिका दायर की है।

- **याचिकाकर्ता का कहना है कि असमान निकायों को एक समान मानने की प्रक्रिया से यह परिणाम हुआ है कि 10 नगर निगमों में से एक भी सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, 47 नगर परिषदों में केवल दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 252 नगरपालिकाओं में से 49 अनुसूचित जाति के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं।**
- **याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान व नगर पालिका अधिनियम निकायों को तीन श्रेणी में बांटता है फिर भी निर्वाचन आयोग और स्वायत्तशाषी विभाग ने सभी निकायों को एक समान मानते हुए एक साथ ही लॉटरी क्यों आयोजित की? अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद सरकार व निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है।**

इस मामले में याचिकाकर्ता अभिजीत कुमार की और से कहा गया कि स्वायत्तशासी विभाग और प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने निकायों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षित सीटों की लॉटरी आयोजित करते समय नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को 'समरूपी संयोजित कोष' (होमोजीनियस पूल) की तरह मानते हुए सभी 309 निकायों की एक साथ लॉटरी निकाली जो कि न केवल संविधान के अनुच्छेद 243 के भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कीर्ति आज़ाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कोलकाता, 15 सितंबर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वसूली के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ

- **एक कारोबारी का आरोप है कि आज़ाद के एक सहयोगी ने उससे 15 लाख रुपये की मांग की थी।**

गिरफ्तारी सहित किसी भी तरह की दंडात्मक पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) की जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति कौशिक चंद की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)